कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/ दिनांक :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP राजस्थान, जयपुर। ।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।
9. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय :– क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय के कार्यभार के संबंध में।
प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8591–8701/सी दिनांक 09.10.2023 एवं 8716–8742/सी दिनांक 26.10.2023।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांक एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8591–8701/सी दिनांक 09.10.2023 द्वारा समस्त वनाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि "क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक से संपादित नहीं कराया जावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अत्यन्त आवश्यक/अरिपहार्य परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक को दिया जाना आवश्यक हो तो उप वन संरक्षक द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक से लिखित में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक को कार्यभार दिया जावे। संबंधित मुख्य वन संरक्षक इस संबंध में आदेश प्रसारित कर इस कार्यालय को अवगत करावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार वनपाल से निम्नतर पद कार्यरत लोकसेवक को किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जावें। उपरोक्त आदेशों की दिनांक 09.10.2023 तक पालना किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध उपरोक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।"

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निम्न निर्देश भी दिये गये थे कि **"क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अत्यन्त आवश्यक/अरिपहार्य परिस्थितयों के मध्यनजर अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक को दिया जाना आवश्यक हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि उस लोक सेवक के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच/फौजदारी आदि प्रकरण लम्बित नहीं हो एवं सेवामिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि ना हो तथा लोक सेवक यथोचित वरिष्ठतम हो।"**

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की निम्नानुसार संकलित सूचना इस कार्यालय में दिनांक 08.01.2024 से 22.01.2024 तक आयोजित बैठक में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी प्रेषित कराने का कष्ट करें :–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय के पदस्थापन के संबंध में सूचना निम्न प्रपत्र में।

क्र.सं.	नाम कार्यालय	नाम क्षेत्रीय कार्यालय	स्वीकृत क्षेत्रीय पद (प्रथम/द्वितीय)	पदस्थापित क्षेत्रीय का नाम	पदस्थापित क्षेत्रीय का पद (प्रथम/द्वितीय/प्रशिक्षु)	वि.वि. (अतिरिक्त कार्यभार)
1	2	3	4	5	6	7

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक के द्वारा संपादित किए जाने की सूचना निम्न प्रपत्र में।

क्र.सं.	नाम कार्यालय	नाम क्षेत्रीय कार्यालय	अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक के द्वारा कार्य संपादित किए जाने पर विवरण			
			नाम	पद	मुख्य वन संरक्षक का आदेश क्रमांक व दिनांक	उवसं कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7

कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आदेश संलग्न करें।
कॉलम संख्या 7 में कॉलम संख्या 4 की संबंधित कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की वरिष्ठता क्रमांक का उल्लेख करना है।

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय के कार्यभार के संबंध में निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के पत्रांक एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/ 8591–8701/सी दिनांक 26.10.2023 मे दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय के कार्यभार के संबंध में इस कार्यालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नोट :– समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी सुनिश्चित करे लेवे कि उपरोक्त सूचना के अनुसार ही वास्तवित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक सेवकों द्वारा कार्यभार संपादित किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/144/सी दिनांक : 5/01/2024

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर